फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी मुकाम– नसीराबाद

मनमोहन बनाम पांडी

किस्म मुकदमा – 88/188 राज0 काश्त0 अधि0 1955 प्रकरण संख्या 136 सन् – 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.6.25	अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पत्र पेश किया। वाद पत्र पर वकील वादी को सुना गया। वाद पत्र के साथ सलंग्न धारा 80 (2) सी.पी.सी. प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रकरण आवश्यक प्रकृति का है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80 (2) सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है। वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली वास्ते इन्तजारी तलबी दिनांक 22/7/25 को पेश हो। 22.7.25 बार एसोसियेशन नसीराबाद के कार्य स्थगन प्रस्ताव के कारण पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 13.10.25 को पेश हो। आदेशानुसार रीडर	(10) नोटिस By प.अहलमकार
13.10.25	प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री नितेश यादव उपस्थित। विधि ने प्रारंभिक आपत्ति पेश कर निवेदन किया कि मनमोहन के मृत्यु परामर्शदाता होने के कारण वे प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। वकील वादी के निवेदन पर वाद [illegible] स्वीकार किया [illegible] पक्षकार [illegible] घोषित किया जाता है।	[illegible] Imbuna Judge

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.17 11:34:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)